अपीलीय आपराधिक

माननीय न्यायालय प्रीतम सिंह पट्टार और मुनि लाल वर्मा, जे. जे.

हरियाणा राज्य,-अपीलार्थी

बनाम

फूला राम,-प्रतिवादी

आपराधिक अपील नं. 1968 का 1174

3 अप्रैल, 1974

पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (.XIII of 1947)- धारा 5 और 7-दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम 5)-धारा 190 (1) और 200 (एए)-भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1372 का 1)-धारा 56 और 57 (7)-पुलिस अधिनियम (1861 का 5)-धारा 22 और 29-दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा दायर शिकायत। उस ओर से राज्य सरकार-ऐसी शिकायत-क्या साबित की जाए और प्रदर्शित की जाए-पुलिस कांस्टेबल छुट्टी पर जा रहा है लेकिन इसकी समाप्ति पर ड्यूटी में शामिल नहीं हो रहा है-उसकी छुट्टी के विस्तार के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और फिर भी ड्यूटी में शामिल नहीं हो रहा है-ऐसा कांस्टेबल-क्या। आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम की धारा 5 (बी) के अर्थ के भीतर अपराध का दोषी-कांस्टेबल की कार्रवाई-चाहे वह पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत आता हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 56 में यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिसका न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा। धारा 57 खंड (7) में कहा गया है कि न्यायालय किसी भी राज्य में किसी भी सार्वजनिक पद को भरने वाले व्यक्तियों के पद, नाम, खिताब, कार्यों और हस्ताक्षर के परिग्रहण की न्यायिक सूचना लेगा, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। नियुक्ति आदि। सभी राजपत्रित अधिकारियों की सूची राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार जहां राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा और अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में शिकायत की जाती है, वहां उसमें उल्लिखित तथ्यों के संबंध में उसकी जांच करना और शिकायत को साबित करना और उसे प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है। (Para 7).

डी. डी. जैन, महाधिवक्ता, हरियाणा के अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एम. आर. अग्निहोत्री।

अदालत का फैसला

पातर, जे.

1) यह हरियाणा राज्य द्वारा 31 जुलाई, 1968 के जींद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री के. एल. नागपाल के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील है, जिसके द्वारा उन्होंने पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1947 की धारा 7 के तहत अपराध के प्रतिवादी फुलाराम को बरी कर दिया था।

2) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि फुलाराम कांस्टेबल को अधिकारियों द्वारा 5 सितंबर, 1967 से 11 सितंबर, 1967 तक सात दिनों की अर्जित छुट्टी की मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, उन्होंने अपनी छुट्टी समाप्त होने के बाद काम फिर से शुरू नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए 11 सितंबर, 1967 को एक तार भेजा। अभियुक्त के इस अनुरोध को पुलिस अधीक्षक ने 15 सितंबर, 1967 को अस्वीकार कर दिया था और उसे ड्यूटी में शामिल होने का आदेश दिया गया था और पंजीकृत डाक द्वारा उसे आवश्यक जानकारी भेजी गई थी। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि कर्तव्य में शामिल होने में विफल रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह पंजीकृत पत्र इस रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त किया गया था कि वह उसी की डिलीवरी लेने के लिए सेवा से बच रहा था।

3) पुलिस विभाग द्वारा उन्हें एक और पत्र जारी किया गया था जो उन्हें 7 अक्टूबर, 1967 को दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ड्यूटी फिर से शुरू नहीं की। इसके बाद उन्होंने सरकारी औषधालय धमतान साहिब का एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भेजा, जिसमें डॉक्टर ने उन्हें 15 दिनों के आराम की सिफारिश की थी, जो 13 अक्टूबर, 1967 को पुलिस विभाग में प्राप्त हुआ था। प्रतिवादी, चाहे जो भी हो, 26 अक्टूबर, 1967 को भी ड्यूटी पर वापस नहीं आया। उन्होंने अपनी बीमारी के आधार पर बिना कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किए 8 नवंबर, 196 टी तक छुट्टी बढ़ाने के लिए एक और तार का अनुरोध किया। इस तार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि आगे छुट्टी के लिए उनके अनुरोध को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था। 8 नवंबर, 1967 के बाद छुट्टी बढ़ाने के लिए उनसे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

4) आरोपी के खिलाफ धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फुलाराम को 5 दिसंबर, 1967 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ आरोप तय किया और अभियोजन पक्ष और प्रत्यर्थी के साक्ष्य को भी दर्ज किया, लेकिन गुणदोष पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया, और प्रत्यर्थी को उसके वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर बरी कर दिया कि शिकायत जो पूरे मामले का आधार थी, विधिवत साबित और प्रदर्शित नहीं की गई थी और इसलिए, उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। असंतुष्ट महसूस करते हुए राज्य सरकार ने यह अपील यह आरोप लगाते हुए दायर की कि शिकायत पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दायर की गई थी और इसे साबित करना और प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं था और निचली अदालत का निर्णय गलत था और इसे उलट दिया जा सकता है और आरोपी को अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है और सजा दी जा सकती है।

5) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:-"कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में शिकायत की गई हो।" अधिसूचना सं. 1248-कैंप/48/2075, दिनांक 20 जनवरी, 1948 पंजाब सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के रैंक और उससे ऊपर के सभी पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुखों को अपने संबंधित विभागों के व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में लिखित रूप में शिकायत करने के लिए अधिकृत किया, जिन पर अधिनियम के खिलाफ अपराध करने का आरोप है। तत्काल मामले में पुलिस उपाधीक्षक, जींद द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी और उस पर उनके हस्ताक्षर थे। जींद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत की प्राप्ति पर संज्ञान लिया और 16 मार्च, 1968 को प्रतिवादी फुलाराम के खिलाफ अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप तय किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में तीन गवाहों से पूछताछ की और 23 मई, 1968 को अपने साक्ष्य को बंद कर दिया और फिर बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने बचाव में दो गवाहों से पूछताछ की और अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए उसके आवेदन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 25 जून, 1968

को खारिज कर दिया और उसने दलीलें सुनीं और उसके द्वारा उठाई गई उपरोक्त प्रारंभिक आपत्ति पर फुलाराम को बरी कर दिया।

6) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1), जैसा कि 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा संपादित किया गया है, निम्नलिखित रूप में निर्धारित करती हैः-"इसके बाद के प्रावधान के अलावा कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है-(ए) उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं; (बी) * (सी) * *
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 (एए) में कहा गया है कि-"जब शिकायत लिखित रूप में की जाती है, तो इसमें निहित किसी भी बात को किसी भी मामले में शिकायतकर्ता की जांच की आवश्यकता नहीं मानी जाएगी, जिसमें शिकायत किसी न्यायालय द्वारा या अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा की गई है।"

7) तत्काल मामले में पुलिस उपाधीक्षक, जींद द्वारा एक लोक सेवक के रूप में प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत की गई थी और इसलिए, इसमें उल्लिखित तथ्यों के बारे में पुलिस उपाधीक्षक की जांच करना और शिकायत को साबित करना और इसे प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं था। पुलिस उपाधीक्षक को राज्य सरकार द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 56 में कहा गया है कि ऐसा कोई भी तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिसका न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा। धारा 57 खंड (7) में कहा गया है कि न्यायालय किसी भी राज्य में किसी भी सार्वजनिक पद को भरने वाले व्यक्तियों के पद, नाम, खिताब, कार्यों और हस्ताक्षर के परिग्रहण की न्यायिक सूचना लेगा, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। सभी राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति आदि राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। कानून के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को पुलिस उपाधीक्षक के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का न्यायिक नोटिस लेना है और शिकायत को साबित करने और इसे प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस शिकायत की प्राप्ति के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और आरोप को तलब किया, उसके खिलाफ आरोप तय किया और पक्षों के साक्ष्य दर्ज किए। नतीजतन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह निर्णय कि अधिनियम की धारा 7 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपराध का संज्ञान लेने से पहले शिकायत को साबित और प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, गलत है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए और मैं तदनुसार आदेश देता हूं।

8) प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह मानते हुए कि इस मामले के तथ्य सही हैं, तब भी अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि-"किसी भी रोजगार या रोजगार के वर्ग में संलग्न कोई भी व्यक्ति जिसके लिए यह अधिनियम लागू होता है, जोः-(ए) ऐसे रोजगार के दौरान उसे दिए गए किसी भी वैध आदेश की अवज्ञा करता है, या (बी) बिना किसी उचित बहाने के ऐसे रोजगार को छोड़ देता है या काम से अनुपस्थित रहता है, या (सी) इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी है।
अपराध के लिए जुर्माना अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत दिया जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि यह अधिनियम उस अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा राज्य के पुलिस विभाग पर लागू होता है।

9) तत्काल मामले में प्रतिवादी फुलाराम ने 30 अगस्त, 1967 को इस आधार पर एक महीने के लिए अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किया था कि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उसकी देखभाल करने और उसका इलाज कराने के लिए घर पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। 4 सितंबर, 1967 के आदेश द्वारा, पुलिस अधीक्षक, जींद द्वारा 5 सितंबर, 1967 से 11 सितंबर, 1967 तक सात दिनों की अर्जित छुट्टी को मंजूरी दी गई थी। फुलाराम प्रतिवादी अपनी छुट्टी की समाप्ति के बाद शामिल नहीं हुआ और 11 सितंबर, 1967 को एक तार भेजा जो प्रदर्शनी P.C. है। प्रभाव-पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, कृपया एक महीने के लिए छुट्टी दें। छुट्टी बढ़ाने के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और फुलाराम को तुरंत अपने कर्तव्य को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया, जिसमें विफल रहने पर उन्हें कर्तव्य से अनुपस्थित माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्हें इन आदेशों के बारे में पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए। उन्होंने टेलिग्राम प्रदर्शनी D.A. भेजा। दिनांक 25 अक्टूबर, 1967 में कहा गया है-"बीमार प्रार्थना 8 नवंबर, 1967 तक छुट्टी बढ़ाएं"। इस तार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि छुट्टी बढ़ाने के उनके पिछले अनुरोध को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था और उन्हें तुरंत शामिल होने के निर्णय के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था। 8 नवंबर, 1967 से छुट्टी देने के लिए 8 नवंबर, 1967 से पहले या बाद में प्रत्यर्थी से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें 5 दिसंबर, 1967 को गिरफ्तार किया गया।

10) अपीलार्थी हरियाणा राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने अपनी नौकरी छोड़ दी या खुद को काम से अनुपस्थित कर दिया। राज्य के विद्वान वकील का यह तर्क सही नहीं लगता है। प्रत्यर्थी, फुलाराम छुट्टी पर चला गया था और उसके बाद वह अपनी पत्नी और खुद की बीमारी के आधार पर छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहा था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वह काम से अनुपस्थित थे क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया था क्योंकि वे छुट्टी पर चले गए थे और अपनी ड्यूटी में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें कोई भी काम उनकी ड्यूटी में शामिल होने के बाद ही सौंपा जा सकता था। चूंकि वह अपने कर्तव्य में शामिल नहीं हुआ था और उसे कोई काम नहीं सौंपा गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 5 खंड (बी) के अर्थ के भीतर काम से अनुपस्थित रहने का सवाल ही नहीं उठा।

11) 15 सितंबर, 1967 को अधिकारियों द्वारा उनकी छुट्टी अस्वीकार किए जाने के बाद पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिसों में उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वह कर्तव्य की उपेक्षा का दोषी हो सकता है, लेकिन यह तथ्य रोजगार को छोड़ने या उचित कारण के बिना काम से अनुपस्थित रहने से अलग है जो अधिनियम की धारा 5 के खंड (बी) में अनुध्यात विशेष अपराध है।

12) पुलिस अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, इस अधिनियम में निहित सभी उद्देश्यों के लिए, हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा, और किसी भी समय सामान्य पुलिस जिले के किसी भी हिस्से में एक पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम की धारा 29 कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड निर्धारित करती है, जो निम्नानुसार हैः-"प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य के किसी भी उल्लंघन या जानबूझकर उल्लंघन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियमन या वैध आदेश की उपेक्षा का दोषी होगा, या जो बिना अनुमति के अपने पद के कर्तव्यों से हट

जाएगा, या दो महीने की अवधि के लिए पूर्व सूचना दिए बिना, या जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने के कारण, उचित कारण के बिना, ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर खुद को कर्तव्य के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, या जो अपने पुलिस कर्तव्य के अलावा किसी अन्य रोजगार में बिना अधिकार के संलग्न होगा, या जो कायरता का दोषी होगा या जो अपनी हिरासत में किसी भी व्यक्ति को कोई अनुचित व्यक्तिगत हिंसा की पेशकश करेगा, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी ठहराए जाने पर, तीन महीने से अधिक के दंड, वेतन, या बिना कठिन कारावास, या दोनों के लिए तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए उत्तरदायी होगा।
इस प्रकार प्रत्यर्थी की कार्रवाई पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अर्थ के भीतर कर्तव्य की स्पष्ट उपेक्षा है क्योंकि वह छुट्टी पर चला गया था और बिना उचित कारण के ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर खुद को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहा था। इस प्रकार वह पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार कर्तव्य की उपेक्षा के लिए उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 के खंड (ख) के तहत अपराध का दोषी नहीं है। यदि इस मुद्दे पर किसी प्राधिकरण को निर्देश देने की आवश्यकता है तो पंजाब राज्य बनाम खरईती लाई (1) में उच्चतम न्यायालय के फैसले के लिए संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था-"पुलिस अधिनियम की धारा 29 द्वारा यथा अनुध्यात कर्तव्य की उपेक्षा किसी रोजगार को छोड़ने या उचित कारण के बिना काम से अनुपस्थित रहने से बिल्कुल अलग है, जो पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम की धारा 5 के खंड (बी) द्वारा अनुध्यात विशेष अपराध है। जहां शारीरिक दुर्बलता या कमी के कारण रिफ्रेशर पाठ्यक्रम पर एक कांस्टेबल को सौंपा गया कार्य रद्द कर दिया जाता है और उससे भौतिक समय के दौरान बिना कोई काम किए पुलिस लाइन में रहने की उम्मीद की जाती है, प्रासंगिक समय के दौरान पुलिस लाइन से उसकी अनुपस्थिति कर्तव्य की उपेक्षा के बराबर हो सकती है, लेकिन काम से अनुपस्थिति या परित्याग का पर्याय नहीं है जिसे धारा 5 के खंड (बी) के तहत दंडनीय बनाया गया है। इसलिए वह धारा 5 (बी) के तहत दोषी नहीं है।
ये टिप्पणियां इस मामले में स्पष्ट रूप से लागू होती हैं। प्रत्यर्थी नौकरी छोड़ने या काम से अनुपस्थित रहने का दोषी नहीं है। हालाँकि, वह पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अर्थ के भीतर कर्तव्य की उपेक्षा का दोषी है।

13) प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की दलीलें सही हैं और स्वीकार की जाती हैं और मेरा मानना है कि अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था। प्रतिवादी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी तरह से गलत कारणों से बरी कर दिया गया है। इसलिए हरियाणा राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है।

वर्मा, जे. -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा